राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

क्रमांक एफ (2) आईसी/नरेगा/2010-11 जयपुर दिनांक 25 MAY 2010

जिला कलेक्टर्स एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सजावटी एवं व्यक्तिगत प्रचार के विज्ञापन जारी न करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपका ध्यान इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ(2)आरडी/नरेगा/आईसी/स.वि/09-10 दिनांक 11.02.2010 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों में ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगायी गयी थी, जिनमें नरेगा योजना की जानकारी नगण्य एवं योजना से जुडे कार्मिकों /जनप्रतिनिधियों के नाम मय फोटो सहित सजावटी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित होता है। ऐसे सजावटी विज्ञापनों से योजना के धन का अपव्यय होता है।

अतः इस क्रम में पुनः निर्देश दिये जाते है कि समस्त सजावटी विज्ञापनों पर रोक यथावत जारी रहेगी। जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत से ऐसे कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे।

यदि योजना के हित में ऐसे सजावटी विज्ञापन जारी करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार से उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही विज्ञापन समाचार पत्रों को प्रकाशन हेतु जारी किये जावें। बिना अनुमति के अगर कोई सजावटी विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संबन्धित अधिकारी का होगा।

इन निर्देशों की पालना समस्त स्तरों पर सुनिश्चित की जाए।

भवदीय
24/5/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव (ईजीएस)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त (राजस्थान)।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा) समस्त राजस्थान
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारी
4. आई.ई.सी. समन्वयक समस्त राजस्थान
5. एमआईएस मैनेजर, महानरेगा, राजस्थान जयपुर को भिजवाकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें
6. रक्षित पत्रावली

मुख्य लेखाधिकारी, (ईजीएस)